2. किस्म मुकदमा

3. अनवान

4. न

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत जिला कलक्टर, बाड़मेर **मुकाम** बाड़मेर

अपीलार्थी–सिकन्दर खान पुत्र शौकत खान **बनाम** उत्तरदाता– उपखण्ड अधिकारी रामसर

किस्म मुकदमा प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम **सन्** 61 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.05.24	अपीलार्थी सिकन्दर खान पुत्र शौकत खान निवासी मोदावासी तहसील राजगढ़ जिला चुरू ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता उपखण्ड अधिकारी रामसर के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 07.05.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष दिनांक 13.09.2022 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 13.09.2022 मय ऑनलाईन की प्रति संलग्न की गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निर्धारित मयाद अवधि में प्रस्तुत नहीं होने से मयाद के बिन्दु पर जवाब हेतु अपीलांट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलार्थी निर्धारित सुनवाई तिथि को उपस्थित नहीं हुआ एवं न ही अपील के विलम्ब से प्रस्तुत करने बाबत कोई संतुष्टिपरक कारण प्रकट किया गया है। फलतः यह अपील मयाद बाहर होने से श्रवणार्थ विचार योग्य प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं मयाद बाहर होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नियमानुसार कम हो व दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Nishant Jain Date: 2024.06.19 18:34:23 IST Reason: SelfAttested जिला कलक्टर बाड़मेर	